


₹ १०००/-

192



रोहणी प्रसाद पिता राम फल केवट , नि० ७० अकौरी,

तह० देक्सर , जिला- सिंगरौली ₹ १०००/- ---निगरानीकर्ता/

बनाम

आवेदक

जवाहर अहिर तनय लक्ष्मण अहिर , नि० गोंडगवां, तह०

देक्सर , जिला- सिंगरौली ₹ १०००/-

म०१० शासन

----- अना०/गैर निगराकारगण

R-1927-II/2

§ 18

§ 28

अधिवक्ता श्री एसके.
मिश्रा द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दिनांक 14-5-2012

Amul
14/5/12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्याया० अपर कलेक्टर
जिला सिंगरौली ₹ १०००/- द्वारा प्र० क्र०-
342/निग०/2010-11 , पारित आदेश दिनांक
26-04-2012 .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०१०भू०रा०सं०

27/6/12

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

§ 18 यह कि विज्ञान अधीनस्थ न्याया० द्वारा पारित आलोच्य आदेश
विधि, प्रक्रिया , एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त
किए जाने योग्य है ।

§ 28 यह कि अना० क्र०-1 ने तहसीलदार देक्सर की अदालत में
संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दौरान
बंदोबस्त को गयी त्रुटि का सुधार कर मौजा-अकौरी के राजस्व सर्वे
क्र०- 674, रकवा ~~१.०६~~ 1.06 हे० में से 0.38 हे० रकवा काटकर


M
[Signature]


- 2 -

R - 1927-II12. डिजिटल -

26/4/17

भारतीय अविद्यमान - 1940 के अंतर्गत
 उपस्थित/ भारतीय अविद्यमान - 2000
 अनुसूची - 34/ उपस्थित के अंतर्गत - अविद्यमान
 ए प्रकाशित अंतर्गत अविद्यमान अविद्यमान
 अविद्यमान के अंतर्गत प्रकाशित अविद्यमान -
 अविद्यमान अविद्यमान अविद्यमान


 अविद्यमान


 अविद्यमान

